"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2015—माघ 17, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 2-6/2014/1-8.—छत्तीसगढ़ मंत्रालय सेवा के श्री सुरेश कुमार तिवारी, अवर सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2015

क्रमांक 269/एफ 6-4/22/सा.आ. एवं जा. जनगणना 2011/2014.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायपुर, बिलासपुर एवं सरगुजा के लिए सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना-2011 (एस.ई.सी.सी. 2011) के दौरान दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत/प्राप्त करने तथा उनका निराकरण करने के लिए एतद्द्वारा समय सीमा की स्वीकृति प्रदान करता है. कथित दावों और आपत्तियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए अब 45 दिनों की समय सीमाएं निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

1. **प्रारूप सूची का प्रकाशन :** (दिनांक 02 फरवरी 2015)
   ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक-क्यू-16015/04/2011-एआई (आर.डी.) दिनांक 17-05-2012 द्वारा परिवहित अनुदेश पुस्तिका के अनुसार परिवारों के सामाजिक-आर्थिक (जाति को छोड़कर) विवरण दर्शाने वाली प्रारूप सूची दिनांक 02 फरवरी 2015 को निर्धारित स्थानों पर प्रकाशित की जावेगी.

2. **ग्रामसभा की बैठक बुलाना :—**
   दिशानिर्देश अनुसार प्रारूप सूची के प्रकाशन से 10 दिवस के भीतर ग्रामसभा की बैठक सार्वजनिक समीक्षा हेतु बुलाया जाना अपेक्षित है. ग्रामसभा की बैठक राज्य में वर्तमान में प्रभावशील पंचायत चुनाव आचार संहिता समाप्ति की तिथि से आगामी 10 दिवस में आयोजित की जावेगी. इस बैठक में जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का एक प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा. यह ग्रामसभा प्रारूप सूची में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी रहवासियों/परिवारों की समीक्षा करेगी. ग्रामसभा द्वारा प्रदर्शित प्रारूप सूची की जानकारी में इंगित त्रुटियों को दर्ज किया जाएगा. तथा आगामी कार्यवाही की जावेगी.

3. **पदांकित जनपद पंचायत स्तर अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में दावे और आपत्तियों के आवेदनों की प्राप्ति** (दिनांक 22 फरवरी 2015 तक)
   विहित प्रपत्र में, दावे और आपत्तियों की प्रस्तुति और प्राप्ति का कार्य, प्रारूप सूची प्रकाशन की दिनांक से 21 दिवसों तक किया जा सकता है, अर्थात् दावे और आपत्ति दिनांक 22 फरवरी 2015 तक की प्राप्त हो जाने चाहिए.

4. **दावों और आपत्तियों के निराकरण की अंतिम दिनांक** (03 मार्च 2015)
   जनपद पंचायत स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दावा और आपत्तियों का निराकरण दिशानिर्देश अनुसार, 07 दिवस के भीतर हो जाने चाहिए, तथापि प्रारूप सूची प्रकाशन के 30वें दिन तक अर्थात् 22 फरवरी 2015 तक प्राप्त समस्त दावे और आपत्ति दिनांक 03 मार्च 2015 तक अनिवार्यत: निराकृत हो जाने चाहिए.

5. **जिला स्तर पर पदांकित प्राधिकारी द्वारा अपील याचिकाओं की प्राप्ति :—** (दिनांक 10 मार्च 2015)
   जनपद पंचायत स्तर के निर्णय से असन्तुष्ट आवेदक द्वारा निर्णय ज्ञात होने के 07 दिवस के भीतर अपीलीय अधिकारी को अभ्यावेदन किया जाना होगा. अपील याचिकाओं की प्रस्तुति/प्राप्ति, प्रारूप सूची प्रकाशन की दिनांक से 37वें दिन तक अर्थात् दिनांक 10 मार्च 2015 तक की जावेगी.

6. **अपील के निपटारे की अंतिम दिनांक** (17 मार्च 2015)
   प्राधिकृत अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों की सुनवाई और उन पर निर्णय के लिए अन्तिम समय-सीमा प्रारूप सूची प्रकाशन के 44वें दिन तक है अर्थात् अपील याचिकाएं 17 मार्च 2015 तक अनिवार्य रूप से निराकृत हो जाने चाहिए.

7. **अंतिम सूची का प्रकाशन** (दिनांक 18 मार्च 2015)
   अंतिम सूची का प्रकाशन की कार्यवाही, प्रारूप सूची के प्रकाशन के 45वें दिन अर्थात् दिनांक 18 मार्च 2015 से भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राउत, अपर मुख्य सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 6-2/2015/वा.क. (आब.)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2011 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15,600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना जिला आबकारी अधिकारी के रूप में उनके सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाये जिले में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरित होगा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	श्री प्रकाश पाल पिता-स्व. श्री सपन कुमार पाल राठौर प्रोविजन के पास, वार्ड नंबर 02, इमलीभाठा, महासमुंद जिला महासमुंद-493445	अनारक्षित	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला रायपुर.
2.	2	श्री उदय पान्डे पिता-श्री अभय कुमार पान्डे द्वारा-श्री ए.के.पान्डे, मकान नंबर 173, त्रिमूर्ति चौक के पास, सुंदर नगर रायपुर छ.ग. पिन-492013	अनारक्षित	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला दुर्ग.
3.	3	श्री प्रवीण वर्मा पिता श्री देवशरण वर्मा, प्लॉट नंबर 355/12 स्ट्रीट-4, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई जिला-दुर्ग पिन 490006	अन्य पिछड़ा वर्ग	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला महासमुंद.
4.	4	श्री हितेश कुमार बघेल पिता-श्री अंगज प्रजापति, सुन्दर नगर, ग्राम आमाटोली, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा पिन-497111	अ.ज.जा.	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला बिलासपुर.

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

6. अभ्यर्थी को निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

7. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा वर्ग 1 तथा 2 भरती नियम, 1966" के प्रावधानों के तहत् शासित होगा.

8. अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सहायक आयुक्त, आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्व सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3522 को दिनांक 26-12-2014 से 30-06-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 4-16/2013/11/(6).—इस विभाग के आदेश क्र. एफ 4-16/2013/11/6, दिनांक 28-11-2014 द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन 1998) की धारा 40 (1), (क) के अंतर्गत पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के आदेश के विरुद्ध राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत अपील की सुनवाई हेतु श्री कार्तिकेया गोयल, उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुये, श्री गोयल के स्थान पर, श्री एस. के. बेहार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है. श्री बेहार द्वारा अपील की सुनवाई की जाकर भारसाधक अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के अनुमोदन के पश्चात् आदेश जारी किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 5-09/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-9-2013 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (वर्गमीटर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रांवाभाठा	124 का भाग, 124/24 का भाग, 124/3, 45, 46, 47 का भाग, 129 का भाग, 130 का भाग, 131 का भाग, 136/13 का भाग, 136/14 का भाग,	16936.97 वर्गमीटर	मार्ग	विशेषीकृत वाणिज्यिक
		136/6 का भाग		मार्ग	विशेषीकृत वाणिज्यिक, औद्योगिक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	रांवाभाठा	136/16 का भाग, 136/18 का भाग, 137/2 का भाग, 137/7 का भाग, 137/4 का भाग, 325 का भाग, 326 का भाग, 327 का भाग, 328 का भाग.	19197.19 वर्गमीटर	मार्ग	औद्योगिक
3.	रांवाभाठा	124/5-43 का भाग, 124/21 का भाग, 124/23-39 का भाग, 124/1-28 का भाग, 124/13-45, 46, 47 का भाग, 124/2 का भाग, 124/24 का भाग, 124/25 का भाग, 124/26, 20 का भाग, 136/14 का भाग, 136/13 का भाग, 136/5 का भाग.	18404.90 वर्गमीटर	विशेषीकृत वाणिज्यिक	मार्ग
4.	रांवाभाठा	136/18 का भाग, 137/1 का भाग, 137/4 का भाग, 137/7 का भाग, 137/3 का भाग, 137/6 का भाग, 137 का भाग, 137/2 का भाग, 137/8, 9 का भाग, 138/3 का भाग, 325 का भाग, 326 का भाग, 328 का भाग, 340 का भाग.	18260.78 वर्गमीटर	औद्योगिक	मार्ग

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण मेटल पार्क की ओर जाने वाले मार्ग के निर्माण के प्रयोजन हेतु.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

ENERGY DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 19th December 2014

No. 2873/F-21/12/2013/PPBond/13/2/ED/2014.—The Government of Chhattisgarh is pleased to guarantee the timely repayment of principal and interest over bonds to be issued by Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL), a successor company of erstwhile Chhattisgarh State Electricity Board, during the financial year 2014-15 for Rs. 500 Crore (Rupees Five Hundred Crore) on the following terms and conditions :—

1.	Instrument	Non Convertible Redeemable Taxable Regular Return Bonds in the nature of Debenture.
2.	Issue Size	Rs. 500 Crore (Rs. 250 Crore with Green-shoe option of Rs. 250 Crore).
3.	Minimum application size and Face Value.	The applicable size would be one bond having Face Value of Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten Lakh) or multiple thereof.

4.	Interest on Application money.	The interest on Application money will be paid at coupon rate after deducting income tax at source (if applicable) from the date of receipt of money into CSPDCL's bank account to one day prior to the date of allotment.
5.	Tenure	20 Years.
6.	Interest Payments	Semi-Annually starting from the end of six months from deemed date of allotment.
7.	Redemption	At per @ 5% at the end of 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th & 15th year and 10% at the end of 16th, 17th, 18th, 19th and 20th year each from deemed date of allotment.
8.	Security	The bond will be secured by structured payment mechanism backed by Unconditional and Irrevocable Guarantee of the State Government of Chhattisgarh.
9.	Listing	The Bonds will be Listed on the National Stock Exchange of India (NSE)/ BSE Limited.
10.	Dematerialization	The bonds will be admitted on National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited for Dematerialization.

2 This order supersedes order No. 1014-1015/F-21/12/2013/PPBond/13/2/ED/2014 Naya Raipur Dtd, 30-04-2014 on this subject matter.

3. The Guarantee is Unconditional and Irrevocable and will remain in force till all the bonds issued by Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited pursuant to this are redeemed. This issues with the concurrence of Finance (Budget) Department, Government of Chhattisgarh conveyed on file bearing unique computer generated file No. F-2014-13-000888 dated 31-10-2014.

Naya Raipur, the 19th December 2014

Sub :- Approval for raising of funds of Rs. 500 Crore by issue of bonds on private placement basis by CSPDCL, a successor company of erstwhile CSEB.

No. 2875/F-21/12/2013/PPBond/13/2/ED/2014.—I am directed to refer your letter No. 05-06/F&A/Budget/ 5437 Raipur, dated 08-08-2014, and to convey the administrative approval of the State Government for raising of funds of Rs. 500 crores, by issue of Bonds on private placement basis by CSPDCL, a successor company of erstwhile CSEB, as per the terms and conditions mentioned in the letter for part financing of capital expenditure envisaged for Annual Plan 2014-15 subject to the fulfillment of all necessary formalities with the following structure :—

1.	Issue Size	Rs. 500 Crore (Rs. 250 Crore with Green-shoe option of Rs. 250 Crore).
2.	Application size and Face Value.	The applicable size would be one bond having Face Value of Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten Lakh) or multiple thereof.
3.	Interest on application money.	The interest on application money will be paid at coupon rate after deducting income tax at source (if applicable) from the date of receipt of money into CSPDCL's bank account to one day prior to the date of allotment.
4.	Tenure	20 Years.
5.	Interest Payments and redemption period.	Semi-Annually starting from the end of six months from deemed date of allotment. Redemption shall be at per @ 5% at the end of 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th & 15th year and 10% at the end of 16th, 17th, 18th, 19th and 20th year each from deemed date of allotment.

6.	Security	The bonds will be secured by structured payment mechanism backed by Unconditional and Irrevocable Guarantee of the State Government of Chhattisgarh.
7.	Listing	The Bonds will be Listed on the National Stock Exchange of India (NSE)/ BSE Limited.
8.	Dematerialization	The bonds will be admitted on National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited for Dematerialization.

This issues with the concurrence of Finance (Budget) Department, Government of Chhattisgarh conveyed on file bearing unique computer generated file No. F-2014-13-000888 Dated 21-10-2014 and supersedes letter No. 1012/F21/12/2013/PPBond/13/2/ED/2014 Naya Raipur dated 30-04-2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. ANANDA BABU, Secretary.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 52-59/तीन (एक)-18/पंचा./कार.अव./2014/590, दिनांक 21-01-2015 में उल्लेखित एवं संलग्न परिशिष्ट में अंकित जिला-गरियाबंद के खण्ड गरियाबंद, मैनपुर तथा जिला-धमतरी के खण्ड नगरी में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2015 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् चतुर्थ चरण 06-02-2015 (शुक्रवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखानें जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2014-15

मतदान-जिलेवार एवं चरणवार खण्डों की सूची

क्र. (1)	जिला (2)	क्र. (3)	प्रथम चरण (4)	क्र. (5)	द्वितीय चरण (6)	क्र. (7)	तृतीय चरण (8)	क्र. (9)	चतुर्थ चरण (10)
13.	गरियाबंद	1	फिंगेश्वर	1	छुरा	-	-	1	गरियाबंद
		2	देवभोग	-	-	-	-	2	मैनपुर
15.	धमतरी	1	कुरूद	1	धमतरी	1	मगरलोड	1	नगरी

हस्ता./-
सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 24 नवम्बर 2014

क्रमांक/108/क/अविअ./भू.अ./अ-82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	भगतसरायपाली	4.88	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 नवम्बर 2014

क्रमांक/110/क/अविअ./भू.अ./अ-82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	तिहारीपाली	5.66	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 नवम्बर 2014

क्रमांक/112/क/अविअ./भू.अ./अ-82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	चिवराकुटा	2.04	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय डूब में आई भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 नवम्बर 2014

क्रमांक/114/क/अविअ./भू.अ./अ-82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	गनियारीपाली	2.69	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना उलट निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 19 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2012-13—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-मजगांव, प.ह.नं. 18/53
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-41.38 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
55	0.80
50	1.29
65/1	0.74
65/2	0.75
9/2, 42/2, 43/2, 44/2	1.07
9/3, 42/3, 43/3, 44/3	1.07
10/3	2.50
10/4, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2, 40/4	0.80
27/1, 28/1	2.60
61/1	2.29
57/1	0.64
60/1, 60/2	2.18
63/1	0.52
66/2	1.19
75	1.45
76/1	0.70
79/1, 80/1	0.61
37/2, 38/2, 39, 40/2	1.54
40/3	1.55
41/1	1.31
41/2	1.31
52/1, 53/1, 54/2	1.79
66/1	1.19
11/1	1.74
48/2	0.96
51/1	1.56
51/2	0.79
67/1	0.23
68/1	0.31
52/2, 53/2	2.17
56	1.33
76/2	0.10
64/1	1.76
67/3	0.23
68/3	0.31
योग 35	41.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मजगांव जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
डी.के.एस. भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

रायपुर, दिनांक 02 जनवरी 2015

संशोधन आदेश

क्रमांक एफ 37-24/तीन (एक)-3/पंचा./समय-अनुसूची/2014/41.—राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ 37-24/तीन (एक)-3/पंचा./समय-अनुसूची/2014/2705, दिनांक 24-12-2014 द्वारा पंचायत के आम निर्वाचन हेतु समय-अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया

गया था. स्वच्छ एवं निर्विघ्न चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कंडिका 7.(i) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है. जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 (घ) सहपठित नियम 30 के तहत् मतदान के समय में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

क्र. (1)	जिला (2)	जनपद पंचायत (3)	मतदान का समय (4)
1.	सुकमा	सुकमा	प्रात: 6.45 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक
		छिन्दगढ़	प्रात: 6.45 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक
		कोन्टा	प्रात: 6.45 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2015

संशोधन आदेश

क्रमांक एफ 37-24/तीन (एक)-3/पंचा./समय अनुसूची/2014/148.—राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ 37-24/तीन (एक)-3/पंचा./समय-अनुसूची/2014/2705 दिनांक 24 दिसंबर 2014 द्वारा पंचायत के आम निर्वाचन हेतु समय-अनुसूची (कार्यक्रम) विहित किया गया है. सुरक्षा एवं अन्य प्रशासनिक दृष्टि से आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 24 दिसम्बर 2014 में संशोधन कर समय अनुसूची (कार्यक्रम) के समय को बढ़ाना आवश्यक हो गया है. अतएव छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 42, सह पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18, 28 एवं 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त आदेश द्वारा जारी समय अनुसूची (कार्यक्रम) के सरल क्र. 7, 8 एवं 9 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

क्र.	कार्यवाही	नियम	निर्धारित तारीख, दिन व समय		
			प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	**मतदान की तारीख**				
(i)	मतदान केवल जिला उ. ब. कांकेर के खण्ड अंतागढ़, भानूप्रतापपुर, कोयलीबेड़ा दुर्गूकोंदल जिला बीजापुर के खंड भोपालपट्नम, बीजापुर, उसूर, भैरमगढ़ जिला द. ब. दंतेवाड़ा के खण्ड दंतेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण, कुंआकोण्डा जिला नारायणपुर के खण्ड नारायणपुर, ओरछा, के लिए (यदि आवश्यक हो)	28 (घ)	28-01-2015 बुधवार प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक	01-02-2015 रविवार प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक	04-02-2015 बुधवार प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
(ii)	जिला-सुकमा के खण्ड सुकमा, छिंदगढ़, कोंटा के लिए (यदि आवश्यक हो)		28-01-2015 बुधवार प्रात: 6.45 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक	01-02-2015 रविवार प्रात: 6.45 बजे से दोपहर 2.00 बजे बजे तक	04-02-2015 बुधवार प्रात: 6.45 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक
(iii)	मतदान उपरोक्त क्र. (i), (ii) में वर्णित खंडों को छोड़कर शेष खंडों के लिए (यदि आवश्यक हो)		28-01-2015 बुधवार प्रात: 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक	01-02-2015 रविवार प्रात: 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक	04-02-2015 बुधवार प्रात: 7.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक
8.	**मतगणना की तारीख**				
	1. मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना के लिए		28-01-2015 बुधवार मतदान के पश्चात	01-02-2015 रविवार मतदान के पश्चात	04-02-2015 बुधवार मतदान के पश्चात

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना के लिए (यदि आवश्यक हो)		30-01-2015 शुक्रवार प्रातः 9.00 बजे से	03-02-2015 मंगलवार प्रातः 9.00 बजे से	06-02-2015 शुक्रवार प्रातः 9.00 बजे से
9.	**सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा**				
	(1) पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य के मामले में (खंड स्तर पर)		31-01-2015 शनिवार प्रातः 9.00 बजे से (खंड मुख्यालय में)	04-02-2015 बुधवार प्रातः 9.00 बजे से (खंड मुख्यालय में)	07-02-2015 शनिवार प्रातः 9.00 बजे से (खंड मुख्यालय में)
	(2) जिला पंचायत सदस्य के मामले (जिला मुख्यालय में)		01-02-2015 रविवार प्रातः 10.30 बजे से	05-02-2015 गुरुवार प्रातः 10.30 बजे से	08-02-2015 रविवार प्रातः 10.30 बजे से

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
आई. आर. देहारी, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 2 जनवरी 2015

क्रमांक 717/खलि/तीन-1/2013.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम (12) के तहत, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र, चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात्, आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरान्त आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	फरहदा	25	सिमगा	602/3 (निजी भूमि)	0.170 हे.	श्रीमती रेनु परप्यानी पति श्री ज्ञानचंद परप्यानी, निवासी शास्त्री वार्ड भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के पक्ष में ग्राम तुरमा प.ह.नं. 23 तहसील भाटापारा के शासकीय भूमि खसरा नंबर 81/1, रकबा 0.210 हेक्टर क्षेत्र एवं ग्राम फरहदा, प.ह.नं. 25 तहसील सिमगा के निजी भूमि खसरा नंबर 602/3 रकबा 0.170 हेक्टर क्षेत्र कुल रकबा 0.380 हेक्टर क्षेत्र पर दिनांक 11-8-2004 से 10-8-2014 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था. स्वीकृत उत्खनिपट्टा का समयावधि में समाप्त होने के कारण वर्तमान में क्षेत्र रिक्त है. ग्राम फरहदा, तहसील सिमगा के निजी भूमि खसरा नंबर 602/3 रकबा 0.170 हेक्टर क्षेत्र को खुला घोषित किया जाना प्रस्तावित है.

राजेश सुकुमार टोप्पो,
कलेक्टर.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्रमांक/14798/नग्रानि/वि.यो./नग्रानि/2014.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट अभनपुर निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं, इस सूचना प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

अभनपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बिरौदा, बकतरा, उरला तथा गिरहोला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम गिरहोला, बेलभाटा, खोला तथा ठेलकाबांधा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम ठेलकाबांधा, गातापार, टोकरों तथा सातपारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम सातपारा, गोतियारडीह, आमनेर, अभनपुर तथा बिरौदा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत अभनपुर.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.